



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 344] नई दिल्ली, बृहस्पति वार, जुलाई 20, 1972/आषाढ़ 29, 1894
No. 344] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 20, 1972/ASADHA 29, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CABINET SECRETARIAT

(Department of Cabinet Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th July 1972

S.O. 498(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Ninety-fifth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, hereinafter referred to as the said Rules, in the First Schedule, after entry 27, the following entry shall be inserted, namely:—

“27. Department of Space (Antareeksh Vibhag).”;

3. In the Second Schedule to the said Rules,—

(a) under the heading “DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (PARMANU OORJA VIBHAG)”, entry 9 shall be omitted;

(b) after the heading “DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (VIGYAN AUR PRODYOGIKI VIBHAG)” and the entries thereunder the following heading and entries shall be inserted, namely:—

“DEPARTMENT OF SPACE (ANTAREEKSH VIBHAG)

1. All matters relating to Space Science, Space Technology, and Space Applications including—

(i) research (including fundamental research) in matters connected with Space and the development of its uses;

- (ii) all matters connected with Space Technology.
- (iii) all matters connected with Space Applications;
- (iv) all activities connected with the development and use of outer Space including—
 - (a) projects and industries concerned with the utilisation of outer Space;
 - (b) the design, manufacture and launching of Rockets and Satellites; and
 - (c) work connected with Space Applications.
2. Financial Assistance for the furtherance of research and study in Space Science and Space Technology and for building up adequate trained man-power for the development of the Space programme including—
 - (i) assistance to institutions and associations engaged in scientific work and to Universities for advanced study and research in Space Science; and
 - (ii) grant of scholarships to students in educational institutions, and other forms of financial aid to individuals including those going abroad for studies in the field of Space Science.
3. International relations in matters connected with Space including—
 - (i) matters relating to Space in the United Nations specialised agencies and relations with other countries; and
 - (ii) correspondence with Universities and other educational institutions abroad in connection with foreign scholarships and the training of Indian scientists.
4. All matters relating to the personnel under the control of the Department.
5. Execution of works and purchase of lands debitable to the budget of the Department.
6. Procurement of stores and equipment required by the Department.
7. Financial sanctions relating to the Department.
8. All matters relating to the Physical Research Laboratory, Ahmedabad.”.

V. V. GIRI,
President.

[No. 74/2/1/72-CF.]

J. S. MONGIA,
Jt. Secy. to the Cabinet

संश्लिष्ट सचिवालय

(संश्लिष्ट कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई, दिल्ली, 18 जुलाई, 1972

एस० श्री० 498(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवटन) नियम, 1961 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आवटन) (पंचानव-वां संशोधन) नियम, 1972 होगा ।

- (2) ये नियम तुरन्त प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आंबटन) नियम, 1961 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों कहा गया है, प्रथम अनुसूची में, प्रविष्टि 27 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

“27क—अन्तरिक्ष विभाग”;

3. उक्त नियमों की द्वितीय अनुसूची में,—

(क) “परमाणु उर्जा विभाग” शीर्षक के नीचे, प्रविष्टि 9 लुप्त कर दी जायेगी ;

“(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग” शीर्षक और तद्धीन प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेंगी ; अर्थात् :—

अंतरिक्ष विभाग

1. अंतरिक्ष विज्ञान, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

- (i) अंतरिक्ष से सम्बन्धित मामलों में अनुसंधान (जिसके अंतर्गत मौलिक अनुसंधान भी हैं) तथा उसके उपयोग का विकास ;
- (ii) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी मामले ;
- (iii) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित सभी मामले ;
- (iv) बाह्य अंतरिक्ष के विकास और उसके उपयोग से संबंधित सभी क्रिया कलाप, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—
 - (क) बाह्य अंतरिक्ष के उपयोग से संबंधित परियोजनायें और उद्योग ;
 - (ख) राकेट और उपग्रहों को डिजाइन, विनिर्माण, और उनको छोड़ना ; और
 - (ग) अंतरिक्ष उपयोजन से संबंधित कार्य ।

2. अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और अध्ययन को अप्रसर करने के लिए और अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण-प्राप्त जनशक्ति तैयार करने के लिए वित्तीय सहायता, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

- (i) अन्तरिक्ष विज्ञान में उच्च अध्ययन और अनुसंधान के लिए, वैज्ञानिक कार्य में लगी संस्थाओं और संगमों और विश्वविद्यालयों को सहायता ; और
- (ii) अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन के लिए शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को छात्र-वृत्तियों देना और अलग-अलग व्यक्तियों को, जिनके अन्तर्गत विदेश जाने वाले व्यक्ति भी हैं, अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता देना ।

3. अंतरिक्ष से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी

- (i) संयुक्तराष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों के अंतरिक्ष से संबंधित मामले और अन्य देशों से सम्बन्ध ; और

(ii) विदेशी छात्रवृत्तियों और भारतीय वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में विदेश स्थित विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं से पत्र व्यवहार ।

4. विभाग के नियंत्रणाधीन कार्मिकों से सम्बन्धित सभी मामले ।
5. विभाग के बजट के नाम डालने योग्य कार्यों का निष्पादन और भूमि की खरीद ।
6. विभाग द्वारा अपेक्षित सामान और उपस्कर उप्राप्त करना ।
7. विभाग से सम्बन्धित वित्तीय संज्ञरियां ।
8. भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद से संबंधित सभी मामले ।”

व० व० गिरि,
राष्ट्रपति ।

[संख्या 74/2/1/72-सी० एक०]

जगजीत सिंह मोंगिया,
संयुक्त सचिव मंत्रि मंडल ।